

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 257 | ता.प्र.सं. 05 (क्र. 2901) दि. 04.03.2015 (श्री विश्वास सारंग) | प्रदेश में बी.आर.सी.सी. के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना। | राज्य शिक्षा सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। | | |
| 258 | परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1079) दि. 04.03.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह) | भिण्ड जिले के सरस्वती कन्या उ.मा.वि.गोरमी के प्राचार्य श्री रामबहादुर सिंह भदौरिया के विरुद्ध संस्थित जांच का जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम स्तर से यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। | | |
| 259 | परि.ता.प्र.सं. 93 (क्र. 2839) दि. 04.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह) | प्रदेश के अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों के मानदेय में वृद्धि किया जाना। | जी हां। मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। | | |
| 260 | परि.ता.प्र.सं. 97 (क्र. 2895) दि. 04.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह) | पन्ना जिले की विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 67 शालाओं की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना। | अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। | | |
| 261 | अता.प्र.सं. 03 (क्र. 435) दि. 04.03.2015 (श्री कुंवर सौरभ सिंह) | कटनी जिले की बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में शा.मा.शाला खमरिया(बाकल) के प्राचार्य श्री लटटीलाल रेदास के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना। | (1) अंतिम जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) प्रश्नांश में वर्णित शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है। | | |
| 262 | अता.प्र.सं. 33 (क्र. 1743) दि. 04.03.2015 (श्री अमर सिंह यादव) | राजगढ़ जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण किया जाना। | पद की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 263 | अता.प्र.सं. 41 (क्र. 1998) दि. 04.03.2015 (श्रीमती नंदनी मरावी) | जबलपुर जिले में रिक्त पदों की पूर्ति कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति से किया जाना। | पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। | | |
| 264 | अता.प्र.सं. 45 (क्र. 2086) दि. 04.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) | प्रदेश में प्राचार्य परीक्षा निरस्त किये जाने के उपरांत जमा परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को वापस किया जाना। | शुल्क वापसी में होने वाले व्यय राशि को काटकर भुगतान किया जाएगा। | | |
| 265 | अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2295) दि. 04.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) | गुना जिले में अवितरित एवं स्टोर की गई पुस्तकों का नवीन शिक्षण सत्र में वितरण कराया जाना। | प्राप्त पुस्तकों में से अवितरित 15, 987 पुस्तकें रखी हुई हैं। जिन्हें आगामी वर्ष की मांग के विरुद्ध समायोजित करते हुए नवीन शिक्षण सत्र में वितरण किया जावेगा। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 266 | ता.प्र.सं.16 (क्र.3007) दि.04.03.2015 (पं.रमेश दुबे) | छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं अमरवाड़ा में अगस्त 2014 तक आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम.योजना की राशि में आर्थिक अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही। | पायी गई अनियमितताओं की जांच कराई जायेगी। जांच प्रतिवेदन में गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। | | |
| 267 | परि.ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1561) दि. 04.03.2015 (श्री मधु भगत) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा स्थानीय स्तर पर पात्रता से अधिक की राशि की औषधि क्रय किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। | | |
| 268 | परि.ता.प्र.सं. 81 (क्र. 2593) दि. 04.03.2015 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल) | धार जिले के कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डही में निर्माण कार्य अनुबंधानुसार समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना। | अनुबंधानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है। | | |
| 269 | अता.प्र.सं. 13 (क्र. 1237) दि. 04.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय) | श्यापुर जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच योजना के तहत थायरॉइड प्रोफाईल टार्च टेस्ट, आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाना। | शेष थायरॉइड प्रोफाईल टार्चटेस्ट, की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी। | | |
| 270 | अता.प्र.सं. 28 (क्र. 1710) दि. 04.03.2015 (श्री प्रताप सिंह) | दमोह जिले के जबेरा एवं तेंदूखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमानुसार रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन नहीं कराने के लिए जिम्मेदार विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 271 | ता.प्र.सं. 23 (क्र. 2140) दि. 04.03.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी) | जिला बालाघाट में वर्ष 2009-10 में स्वीकृत विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास गृह में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा की जा रही है। जाँच उपरांत दायित्व निर्धारित किया जावेगा। | | |
| 272 | परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1931) दि. 04.03.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को) | अनूपपुर जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक से राज्य स्तरीय वरिष्ठता व्याख्याता के पद पर पदोन्नति किया जाना। | राज्यस्तरीय वरिष्ठता में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। | | |
| 273 | परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 2436) दि. 04.03.2015 (श्री दिनेश राय (मुनमुन)) | सिवनी जिले में परियोजना अंतर्गत गुणवत्ता विहीन विद्युत पंप आदिवासियों को प्रदाय करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना। | जी हों, पंप की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर को लिखा गया है। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 274 | परि.ता.प्र.सं. 50 (क्र. 2131) दि. 04.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया) | सागर जिले में छात्रावासों के लिए क्रय की गई सामग्री के रख-रखाव एवं वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। | | |
| 275 | परि.ता.प्र.सं. 51 (क्र. 2132) दि. 04.03.2015 (श्री हर्ष यादव) | सागर जिले में छात्रावासों के लिये सामग्री क्रय करने में अनियमितता संबंधी जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 276 | परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 3004) दि. 04.03.2015 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप) | रतलाम में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य कराया जाना। | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

आयुष विभाग

दिनांक 04.03.2015

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 277 | ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2838) दि. 04.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह) | म.प्र.आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच एवं जांचोपरांत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच प्रतिवेदन एवं शिकायत एवं शिकायत में उल्लेखित बिन्दु संचालनालय स्तर पर परीक्षणाधीन हैं। | | |